<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज</u>
<u>पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 27/2017

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नवल किशोर पुत्र श्री कन्हैया लाल उम्र 62 वर्ष जाति चौरसिया निवासी खेडलीगंज चौराहा अटरू जिला बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मैसर्स अनुप स्वीट सेन्टर खेडलीगंज चौराहा अटरू जिला बारां।
2. श्री मनीष कुमार सेन पुत्र श्री बालमुकुन्द निवासी गुरू जी का चौक चूडी बाजार वार्ड नं0 23 बारां। मैसर्स मिनेल मार्केटींग एजेन्सी पीली कोठी हॉस्पिटल रोड बारां।
3. श्री सुनिल हेमनानी पुत्र परस राम हेमनानी। मैसर्स मोहित एजेन्सी 181 शॉपिंग सेन्टर कोटा।
4. श्री कैलाश कुकरेती पुत्र श्री देवानन्द कुकरेती निवासी B-8/219, Sec-5, Rohini, Delhi-110085 **(नोमिनि)** मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं0 42 उद्योग विहार गौतमबुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश।
5. मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं0 42 उद्योग विहार गौतमबुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश।

(अप्रार्थीगण)

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011</u>

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी कम 2)
4– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी कम 3)
5– अनुपस्थित (अप्रार्थी कम 4 व 5)

<u>निर्णय दिनांक 19.06.2019</u>

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2016 को मैसर्स अनुप स्वीट सेन्टर खेडलीगंज चौराहा अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नवल किशोर पुत्र श्री कन्हैया लाल **(मौक पर मौजूद मालिक एवं विकेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 20.10.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो)** जो लगभग 500 ग्राम के मूल पैक में 20 कि.ग्रा. मात्रा में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **सोहन पपडी (बीकानो)** विक्रेता से 500 ग्राम के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री नवल किशोर पुत्र श्री कन्हैया लाल को 600/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अनुप व श्री इन्दर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **सोहन पपडी (बीकानो) 500 ग्राम के** 04 पैकटों को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर मूल पैकेट पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक निमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–665 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–665 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नवल किशोर पुत्र श्री कन्हैया लाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/294 दिनांक 11.11.2016 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 288/FSSA/Act/2016/76 दिनांक 28.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स अनुप स्वीट सेन्टर खेडलीगंज चौराहा अटरू जिला बारां से पत्रांक 295 दिनांक 11.11.2016 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल सूचना चाही गई। मैसर्स अनुप स्वीट सेन्टर द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स मिनेल मार्केटींग एजेन्सी पीली कोठी हॉस्पिटल रोड बारां से पत्रांक 316 दिनांक 19.11.2016 एवं 341 दिनांक 20.12.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, मालिक/नोमिनि एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स मिनेल मार्केटींग एजेन्सी बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स मोहित एजेन्सी 181 शॉपिंग सेन्टर कोटा से पत्रांक 21 दिनांक 10.01.2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, मालिक/नोमिनि एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स मोहित एजेन्सी कोटा द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, एवं क्रय बिल एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–अ कोटा द्वारा मैसर्स मोहित एजेन्सीज कोटा का वेट फार्म 01 की छाया प्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं0 42 उद्योग विहार गौतमबुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश पत्रांक 74 दिनांक 15.03.2017, 99 दिनांक 05.04.2017, 115 दिनांक 24.04.2017, 131 दिनांक 25.05.2017, 151 दिनांक 20.06.2017, 174 दिनांक 11.07.2017 एवं 194 दिनांक 09.08.2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, मालिक/नोमिनि एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स बीकानेरवाला फुडस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, नोमिनि फार्म नं0 9 एवं नोमिनि ड्राविंग लाईसेन्स की छाया प्रति कार्यालय में पेश किया गया जिसमें श्री कैलाश कुकरेती पुत्र श्री देवानन्द कुकरेती निवासी B-8/219, Sec-5, Rohini, Delhi-110085 **(नोमिनि)** पाये गये।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 14.09.2017 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 4 व 5 अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो) 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्राथी द्वारा मूल पेकिंग के साथ किसी प्रकार की छेडछाड नही की है और पेकिंग पर उत्पादक एवं पेकिंगकर्ता के साथ संपूर्ण विवरण नियमानुसार दर्ज है। जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा नही की गई है और इस जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप होने का कोई कारण भी नही है। अप्राथी एक दुकानदार व्यक्ति है जो पेक्ड आयटम उसी स्थिति में विक्रय करता है जिस स्थिति में प्राप्त होता है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अप्राथी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा कंपनी से बिल द्वारा प्राप्त माल ही विक्रय किया जाता है जो पैक्ड स्थिति में प्राप्त होता है और उसी स्थिति में विक्रय किया जाता है। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नही है और ना ही किसी प्रकार की मिलावट या मिस ब्रान्डिंग नही की गई है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अप्राथी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 3 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी मैसर्स मोहित एजेन्सी शोपिंग सेन्टर, कोटा का मालिक स्वामी है एवं बीकानों मैसर्स बीकानेर वाला फूडस प्रा0 लि0 नोयडा उत्तरप्रदेश के अधिकृत एजेण्ट है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **सोहन पपडी (बीकानो)** के लिए सेम्पल की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से करवाई है जो नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेट्री से नोटिफाई नही होने से जांच रिपोर्ट दि0 28.10.16 वेल्यूबल साक्ष्य नही है। मोहित एजेन्सी कोटा द्वारा **सोहन पपडी (बीकानो)** के पेकिंग जिस स्थिति में क्रय किये थे उसी स्थिति में विक्रय किये है। इसमें अप्रार्थी का कोई दोष नही है और ना ही किसी प्रकार की मिलावट या मिस ब्रान्डिंग नही की गई है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अप्राथी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 288/FSSA/Act/2016/76 दिनांक 28.10.2016 के बाद खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकानो) 500 ग्राम पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप** (**Mis branded**) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 को 10,000/– 10,000/–रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 4 व 5 को अनुपस्थित रहने से उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)